

सत्यनारायण

नाम

पुत्रराज कुमार

धारा 10-33 R-2 CPE

मुद्रांकन/पत्र - 104/22

27.07.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रार्थीगण व उनके नियुक्त अधिवक्ता को विधिवत तीन बार आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई वैध प्रतिनिधि प्रार्थनापत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हाजिर नहीं आये।

अतः प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को प्रार्थी पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

